[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 1/2018-प्रतिपूर्ति उपकर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 25 जनवरी, 2018

सा.का.नि. ..... (अ) माल एवं सेवाकर (राज्यों को प्रतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 (2017 का 15) की धारा 8 की उप धारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 1/2017-प्रतिपूर्ति उपकर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 720 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र के असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में,-

(i) क्रम संख्या 42 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा -

(1)	(2)	(3)	(4)
42क.	87	सभी पुराने और इस्तेमाल किए गए वाहन स्पष्टीकरण : इस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात तब लागू नहीं होगी यदि ऐसी वस्तुओं के आपूर्तिकर्ता ने केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 2 की उपवाक्य (63) में यथापरिभाषित इनपुट टैक्स क्रैडिट, सैनवेट क्रैडिट रुल्स, 2004 में यथापरिभाषित सैनवेट क्रैडिट या ऐसे वाहनों पर भुगतान किए गए मूलवर्द्धित कर (वैट) या अन्य किसी कर के बदले में इनपुट टैक्स क्रैडिट ले लिया हो ।	शून्य

(ii) क्रम संख्या 43 में, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "8702 या 8703" को प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

[फाइल संख्या 354/1/2018-टीआरयू]

(रूचि बिष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोट – प्रधान अधिसूचना संख्या 2/2017-प्रतिपूर्ति उपकर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 720 (अ) दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 6/2017-प्रतिपूर्ति उपकर (दर), दिनांक 13 अक्तूबर, 2017, जिसे सा.का.नि. 1282 (अ), दिनांक 13 अक्तूबर, 2017 के तहत प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है ।